M.P. Trade & Investment Facilitation Corporation Ltd.
M(J)
O I C (Policy)
3155

मध्यप्रदेश शासन

वाणिज्य, उद्योग एवं रोजगार विभाग

मंत्रालय, भोपाल।

:: आदेश ::

भोपाल दिनांक 08.2016

क्र. एफ 16-04/2016/बी-ग्यारह: राज्य शासन द्वारा निर्णय लिया गया है कि मेसर्स नाहर ग्रुप द्वारा रू. 600 करोड़ के स्थायी पूंजी निवेश से प्रदेश में स्थापित मेसर्स ओसवाल वूलन मिल्स लि. पीलूखेड़ी, मेसर्स नाहर पॉली फिल्म लि. मंडीदीप में विस्तार एवं मेसर्स नाहर स्पिनिंग मिल लि. मंडीदीप में प्रस्तावित नवीन परियोजना में बडी संख्या में स्थानीय व्यक्तियों को रोजगार के अवसर एवं वृहद निवेश के दृष्टिगत विचारोपरांत ग्रुप कम्पनीज की परियोजनाओं को निम्नानुसार विशेष सुविधाएं दी जावे। :-

(1) **मेसर्स ओसवाल वूलन मिल्स लि. पीलूखेड़ी, जिला राजगढ़ (विस्तार कम्पोजिट टेक्सटाईल)-**

I. **वेट एवं सीएसटी पर सहायता-** टैक्सटाईल परियोजनाओं में टफ अंतर्गत अनुमोदित प्लांट एवं मशीनरी की निवेश की सीमा तक 100 प्रतिशत की दर से 10 वर्षो हेतु प्रतिपूर्ति शर्तो के अध्याधीन होगी। कुल सहायता इकाई द्वारा जमा किये गये कर से अधिक नहीं होगी ।

II. **प्रवेश कर से छूट-** प्रथम कच्चा माल क्रय दिनांक से 10 वर्षो हेतु छूट दी जावे।

III. **ब्याज अनुदान-** कम्पोजिट इकाई को टफ अंतर्गत अनुमोदित प्लांट एवं मशीनरी हेतु लिये गये टर्म लोन पर 5 वर्ष के लिये 7 प्रतिशत की दर से ब्याज अनुदान दी जावे।

IV. **विद्युत शुल्क पर छूट-** विद्यमान विद्युत कनेक्शन अंतर्गत 10 वर्षो के लिये अतिरिक्त विद्युत भार पर विद्युत शुल्क से छूट दी जावे।

V. **विद्युत टेरिफ में रियायत-** विद्यमान विद्युत कनेक्शन अंतर्गत विद्युत टेरिफ में अतिरिक्त विद्युत भार पर रू. 1.00 (रूपये एक) प्रति यूनिट की दर से परियोजना में वाणिज्यिक उत्पादन दिनांक से 7 वर्ष तक रियायत होगी।

VI. **जल प्रदाय-** कम्पनी की परियोजना को पार्वती नदी पर एकेव्हीएन, भोपाल द्वारा निर्मित बराज से रू. 5 प्रति किलो लीटर की दर से जल उद्वहन करने की अनुमति दी जावे। जल दर समय-समय पर एकेव्हीएन, भोपाल के संचालक मण्डल द्वारा निर्धारित की जावे।

VII. **132 के.व्ही. पॉवर सप्लाई-** मध्यप्रदेश पॉवर ट्रान्समिशन लि. द्वारा उनके प्लान अनुसार औद्योगिक क्षेत्र, पीलूखेडी, जिला राजगढ़ में प्रस्तावित 132 केव्ही पॉवर सबस्टेशन वर्ष 2018 के अंत तक पूर्ण किया जावे। इसकी स्थापना तक परियोजना को विद्यमान 33 के.व्ही. से विद्युत आपूर्ति की जावे।

VIII. उद्योग नीति, 2014 अंतर्गत अन्य सभी सुविधाएं प्रचलित नियमों के अनुसार दी जावे।

IX. कम्पनी की शेष अन्य मांगों को अमान्य की जाती है।

निरंतर...

हर स्पिनिंग मिल लि., मंडीदीप, जिला रायसेन (नवीन टेक्सटाईल) -

I. **वेट एवं सीएसटी पर सहायता-** टैक्सटाईल परियोजनाओं में टफ अंतर्गत अनुमोदित प्लांट एवं मशीनरी की निवेश की सीमा तक 100 प्रतिशत की दर से 10 वर्षो हेतु प्रतिपूर्ति शर्तो के अध्याधीन होगी । कुल सहायता इकाई द्वारा जमा किये गये कर से अधिक नहीं होगी ।

II. **प्रवेश कर से छूट-** प्रथम कच्चा माल क्रय दिनांक से 10 वर्षो हेतु छूट दी जावे।

III. **ब्याज अनुदान-** टफ अंतर्गत अनुमोदित प्लांट एंव मशीनरी हेतु लिये गये टर्म लोन पर 5 वर्ष के लिये 5 प्रतिशत की दर से दी जाये।

IV. **विद्युत शुल्क पर छूट-** विद्युत शुल्क से 10 वर्षो हेतु छूट प्रदान की जाये।

V. **विद्युत टेरिफ में रियायत-** नवीन कनेक्शन पर विद्युत टेरिफ में रू. 1.00 (रूपये एक) प्रति यूनिट की दर से परियोजना में वाणिज्यिक उत्पादन दिनांक से 7 वर्ष तक रियायत होगी।

VI. उद्योग नीति अंतर्गत अन्य सभी सुविधाएं प्रचलित नियमों के अनुसार दी जावे।

VII. कम्पनी की शेष अन्य मांगों को अमान्य की जाती है।

(ग) नाहर पॉली फिल्म लि. मंडीदीप, जिला रायसेन (विस्तार) -

I. **वेट एवं सीएसटी पर सहायता-** 75 प्रतिशत की दर से 10 वर्षो हेतु प्लांट एवं मशीनरी में निवेश की सीमा तक वेट एवं सीएसटी की प्रतिपूर्ति शर्तो के अध्याधीन होगी। कुल सहायता इकाई द्वारा जमा किये गये कर से अधिक नहीं होगी।

II. **प्रवेश कर से छूट-** प्रथम कच्चा माल क्रय दिनांक से 10 वर्षो हेतु छूट दी जावे।

III. **विद्युत शुल्क पर छूट-** विद्यमान विद्युत कनेक्शन अंतर्गत 10 वर्षो के लिये अतिरिक्त विद्युत भार पर विद्युत शुल्क से छूट दी जावे।

IV. **विद्युत टेरिफ में रियायत-** विद्यमान विद्युत कनेक्शन अंतर्गत विद्युत टेरिफ में अतिरिक्त विद्युत भार पर रू. 1.00 (रूपये एक) प्रति यूनिट की दर से परियोजना में वाणिज्यिक उत्पादन दिनांक से 7 वर्ष तक रियायत दी जाये।

V. उद्योग नीति अंतर्गत अन्य सभी प्रावधानित सुविधाएं प्रचलित नियमों के अनुसार दी जावे।

VI. कम्पनी की शेष अन्य मांगों को अमान्य किया जाता है।

(के) <u>अन्य सुविधाएं-</u>

1. **प्रशिक्षण हेतु व्यय की प्रतिपूर्ति-** ग्रुप कम्पनीज की उल्लेखित तीनो परियोजनाओं में कार्यरत मध्यप्रदेश के मूल निवासियों (नियमित एवं कान्ट्रेक्ट कर्मचारियों सहित) को 4 माह तक 50 प्रतिशत वेतन की प्रतिपूर्ति अधिकतम रूपये 1 लाख तक की जावे। यह एकीकृत स्वीकृति प्रतिवर्ष अधिकतम रूपये 2 करोड़ की सीमा में होगी तथा वाणिज्यिक उत्पादन प्रारम्भ होने की तिथि से 5 वर्षो के लिये देय होगी। इस प्रकार इस मद में अधिकतम रूपये 10 करोड़ के व्यय की एकीकृत प्रतिपूर्ति की जा सकेगी।

2. टेक्सटाईल परियोजनाओं में टफ अतर्गत अनुमोदित प्लांट एवं मशीनरी वस्त्र मंत्रालय, भारत शासन के संकल्प क्रमांक 6/4/2007-सी71, नवम्बर, 2007 में वर्णित TUFS (Technology Upgradation Fund Scheme) अंतर्गत प्लांट एवं मशीनरी माना जावे।

निरंतर...

3. जीएसटी प्रणाली लागू होने पर परियोजना को उसके द्वारा उत्पादित वस्तुओं के अंतर्राज्यीय विक्रय पर चुकाये गए स्टेट जीएसटी (जिसमें प्रवेश कर भी शामिल है) के बराबर राशि की प्रतिपूर्ति (इनपुट क्रेडिक का शुद्ध) इस शर्त पर की जावेगी, कि चुकाई गयी कर राशि वास्तविक रूप से मध्यप्रदेश सरकार के कोष में एकत्रित हुई है। यह भी कि जीएसटी प्रणाली लागू होने पर स्टेट जीएसटी की प्रतिपूर्ति उस कर दर पर की जावेगी, जो उस विशिष्ट वस्तु पर प्रभार्य वर्तमान प्रचलित मूल्य संवर्धित कर/प्रवेश कर की दरों से अधिक नहीं होगी। यह भी कि सहायता राशि इकाई अंतर्गत प्लांट एवं मशीनरी में किये गये कुल पूंजी निवेश की राशि से अधिक नहीं होगी।

4. ग्रुप कम्पनीज की उल्लेखित तीनो परियोजनाओं को स्वीकृत सुविधाओं का विशेष पैकेज का लाभ इस शर्त पर प्राप्त होगा कि इस परिप्रेक्ष्य में आदेश जारी होने के दिनांक से 3 वर्ष में परियोजनाओं में वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ कर लिया जावेगा।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम
से तथा आदेशानुसार

17/8/16

(मोहम्मद सुलेमान)
प्रमुख सचिव
मध्यप्रदेश शासन
वाणिज्य, उद्योग एवं रोजगार विभाग

पृ.क्र. एफ 16-04/2016/बी-ग्यारह
भोपाल, दिनांक 17-08.2016

प्रतिलिपि,

1. प्रमुख सचिव (समन्वय), मध्यप्रदेश शासन, मुख्य सचिव कार्यालय, मंत्रालय, भोपाल।
2. अपर मुख्य सचिव/ प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, वित्त विभाग/ वाणिज्यिक कर विभाग/ऊर्जा विभाग/ तकनीकि शिक्षा एवं कौशल विकास विभाग, मंत्रालय, भोपाल
3. उद्योग आयुक्त, मध्यप्रदेश, भोपाल।
4. प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश ट्रेड एण्ड इन्वेस्टमेंट फेसिलिटेशन कॉर्पोरेशन लि., भोपाल।
5. आयुक्त, भोपाल संभाग, भोपाल।
6. कलेक्टर, रायसेन।
7. आथोराइज्ड सिग्नेटरी, मेसर्स ओसवाल वूलन मिल्स लि. (नाहर ग्रुप), ए-24, द्वारकाधाम, नियम न्यू सेन्ट्रल जेल, करोद बायपास रोड, भोपाल 462031।

- की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

उप सचिव
मध्यप्रदेश शासन
वाणिज्य, उद्योग एवं रोजगार विभाग